

दिनांक

आज्ञा पत्र

7-11-24

पत्रावली पेश। वकली अपीलान्त एव अपीलान्त स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल 6 बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलान्त एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलान्त अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकल्प फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद त्तरतीब तकमील दाखिल टफतर हो।



प्रबन्ध अधिकारी एवं  
षटेन राजसंघ अपील अधिकारी  
सीकर (कैम्प झुन्झनू)